न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 30/2024

राजस्थान सरकार जरिये हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ......प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन लाल
निवासी– यादव कॉलोनी दौराई, अजमेर ......अप्रार्थी

उपस्थित :–
1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर पैरोकार सरकार
2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन लाल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 12.02.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी हाल जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी यादव कॉलोनी, दौराई, अजमेर के खुले बाड़े पर पहुंचा। मौके पर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन लाल निवासी दौराई उपस्थित मिला, जिसकी उपस्थिति में उसके बाड़े में जांच कार्य किया, उक्त बाड़े का मालिक उसने स्वयं को बताया। बाड़े के एक तरफ एक कमरा बना हुआ हैं, जिसके ऊपर लोहे के टिनशेड़ लगा हुआ पाया। मौके पर खुले बाड़े में व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर (19 किग्रा) तथा घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भण्डारित पाए गए। खुले बाड़े में सिलेण्डरों के पास ही चार बांसुरी, एक रिफिलिंग मशीन, (विद्युत चालित) पायी गयी तथा पास ही टिनशेड़ डाले हुए कमरे में घरेलू सिलेण्डर, व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर, 01 रिफिलिंग मशीन, 02 जुगाड़ पाईप (घरेलू से व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर में गैस भरने के), 01 कार्टून में सिलेण्डर सैफ्टी कैप (200) रखे हुए पाए। श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहनलाल से उक्त अवैध भण्डारित सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर बताया कि यह सभी सिलेण्डर उसके स्वयं के है और यह जगह भी स्वंय की हैं। उसने बताया कि यह सभी सिलेण्डर एक–एक या दो–दो कर होटलों, डिलेवरी बॉय आदि से खाली गैस सिलेण्डर 2000 से 2500 रूपये में तथा छोटे घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा गैस से भरा हुआ 850 से 900 रूपये में खरीदता है तथा इनको बड़े सिलेण्डरों (व्यावसायिक 19.0 किग्रा) से भरकर (जुगाड पाईप द्वारा व बांसरी द्वारा) बाजार में होटलों को 1300 से 1400 रूपये में सप्लाई करता हैं। मौके पर ही श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि उसके द्वारा रिफलिंग मशीन द्वारा गाड़ियो में भी एलपीजी गैस भरने का कार्य किया जाता हैं। गाड़ियो में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेण्डर से गैस भरने पर ग्राहकों से 1000 रूपये लेता हैं। श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि वह गैस एजेन्सीयो के

जिला कलक्टर,
अजमेर

कार्मिक (डिलेवरी बॉय) से इण्डेन कम्पनी, भारत कम्पनी से भी सिलेण्डर लेता हैं तथा इसके अलावा प्लान्ट से गैस सिलेण्डर भरकर निकलने वाली गाड़ियो से भी सिलेण्डर लेता हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर श्री महेन्द्र सिंह से बाड़े का बिजली बिल प्राप्त किया गया जो स्वयं महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से ही है जो फर्द संलग्न हैं। मौके पर भण्डारित सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज, बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए।

अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण 185 सिलेण्डरो को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर इण्डेन ग्रामीण वितरक, सराधना के प्रोपराईटर श्री दिलीप सिंह परौदा को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गयाः—

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1.	007091	Unsealed	19.1	19.1	–
2	064620	BPCL Un Sealed	18.6	18.6	–
3	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.4	18.4	–
4	363035	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
5	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
6	082398	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
7	100937	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
8	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
9	443978	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
10	00782	BPCL Un Sealed	18.8	18.8	–
11	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
12	010169 T	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
13	870098	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
14	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
15	006310	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
16	002027	BPCL Un Sealed	19.8	19.8	–
17	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
18	108493	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
19	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
20	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
21	29417	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
22	001971	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
23	009791	BPCL Un Sealed	18.7	18.7	–
24	005577	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
25	011921	BPCL Un Sealed	19.7	19.7	–
26	045288 T	HPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
27	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
28	319024	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
29	868181	BPCL Un Sealed	18.9	18.9	–
30	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–

जिला कलक्टर,
अजमेर

31	007025	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
32	2342	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
33	093247 S	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
34	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
35	023311	BPCL Un Sealed	19.5	19.5	–
36	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.9	18.9	–
37	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
38	185297	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
39	014924 S	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
40	013499	BPCL Un Sealed	18.9	18.9	–
41	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.9	18.9	–
42	0680039	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
43	001595 T	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
44	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
45	013298 T	HPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
46	005897	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
47	093930	BPCL Un Sealed	19.7	19.7	–
48	055016	BPCL Un Sealed	19.5	19.5	–
49	363233	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
50	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.7	19.7	–
51	293368	BPCLUn Sealed	19.8	19.8	–
52	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
53	031568	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
54	035649	IOCL Un Sealed	19.4	19.4	–
55	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.1	19.1	–
56	13133 S	IOCL Un Sealed	19.4	19.4	–
57	073814	IOCL Un Sealed	19.5	19.5	–
58	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.1	19.1	–
59	223820	IOCL Un Sealed	19.1	19.1	–
60	49900	IOCL Un Sealed	19.0	19.0	–
61	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
62	379887	IOCL Un Sealed	19.7	19.7	–
63	03987	IOCL Un Sealed	19.3	19.3	–
64	038207	IOCL Un Sealed	19.4	19.4	–
65	86723	IOCL Un Sealed	19.0	19.0	–
66	0902491	IOCL Un Sealed	19.1	19.1	–
67	029567	IOCL Un Sealed	19.1	19.1	–
68	20988	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
69	022538	IOCL Un Sealed	18.7	18.7	–
70	020209 S	IOCL Un Sealed	19.7	19.7	–
71	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.4	19.4	–
72	019989	IOCL Un Sealed	19.3	19.3	–

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

73	000151	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
74	25129	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
75	047212	IOCL Un Sealed	19.5	19.5	–
76	017263	IOCL Un Sealed	18.8	18.8	–
77	765983	IOCL Un Sealed	19.2	19.2	–
78	03860	IOCL Sealed	19.1	38.1	19.0
79	अपठनीय	IOCL Un Sealed	19.3	19.3	–
80	अपठनीय	IOCL Sealed	19.3	38.3	19.0
81	अपठनीय	IOCL Sealed	19.0	38.0	19.0
82	006944	BPCL Sealed	19.0	38.0	19.0
83	017582 S	IOCL Sealed	19.0	37.0	18.0
84	040752	IOCL Sealed	18.8	37.0	18.2
85	0079488	IOCL Sealed	19.0	38.0	19.0
86	010651 T	BPCL Sealed	19.1	38.1	19.0
87	00929	BPCL Sealed	19.1	38.0	18.9
88	002133	BPCL Sealed	19.2	38.3	19.1
89	022486	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
90	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.9	18.9	–
91	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
92	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
93	017359 S	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
94	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
95	117903 E	BPCL Un Sealed	19.5	19.5	–
96	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.7	19.7	–
97	38471	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
98	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
99	024906	BPCL Un Sealed	19.1	19.1	–
100	441036 T	BPCL Un Sealed	19.0	19.0	–
101	011672	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
102	019521	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
103	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.8	18.8	–
104	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
105	005908	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
106	024440 B	BPCL Un Sealed	18.7	18.7	–
107	009120 S	BPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
108	अपठनीय	BPCL Un Sealed	19.2	19.2	–
109	अपठनीय	BPCL Un Sealed	18.0	18.0	–
110	065778 T	BPCL Un Sealed	19.5	19.5	–
111	21033 S	HPCL Un Sealed	19.4	19.4	–
112	74468 S	HPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
113	004390 S	HPCL Un Sealed	19.3	19.3	–
114	092037 T	HPCL Un Sealed	19.1	19.1	–

जिला कलक्टर,
अजमेर

115	146353 E	IOCL Un Sealed	8.6	8.6	–
116	013493 J	BPCL Un Sealed	15.3	15.3	–
117	012060 T	BPCL Un Sealed	15.8	15.8	–
118	8438188	BPCL Un Sealed	15.6	15.6	–
119	355474 S	BPCL Un Sealed	15.7	15.7	–
120	83705 S	BPCL Un Sealed	15.7	15.7	–
121	7258118	BPCL Un Sealed	16.0	16.0	–
122	254433 S	BPCL Un Sealed	15.6	15.6	–
123	377536 S	HPCL Un Sealed	15.7	15.7	13.4
124	742833	BPCL Sealed	15.9	29.3	14.2
125	885925 S	IOCL Sealed	15.6	29.8	14.1
126	986702	IOCL Sealed	15.9	30.0	13.3
127	749516	BPCL Sealed	15.7	29.0	–
128	165443	IOCL Un Sealed	15.5	15.5	–
129	390723	IOCL Un Sealed	16.0	16.0	–
130	109097	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
131	96571	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
132	158729	IOCL Un Sealed	16.7	16.7	–
133	884671	IOCL Un Sealed	15.3	15.3	–
134	अपठनीय	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
135	259046	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
136	682024	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
137	429922 S	IOCL Un Sealed	16.2	16.2	–
138	362835 S	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
139	347085 E	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
140	781600 T	IOCL Un Sealed	15.8	15.8	–
141	326181 T	IOCL Un Sealed	15.8	15.8	–
142	104901	IOCL Un Sealed	15.8	15.8	–
143	132045	IOCL Un Sealed	15.0	15.0	–
144	95036 J	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
145	084750	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
146	357555	IOCL Un Sealed	16.3	16.3	–
147	810668	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–
148	49084 T	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–
149	175148	IOCL Un Sealed	15.5	15.5	–
150	21320	IOCL Un Sealed	16.1	16.1	–
151	412100	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–
152	548069	IOCL Un Sealed	15.2	15.2	–
153	681588	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–
154	939660	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
155	27668	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
156	18477	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

157	978840	IOCL Un Sealed	15.9	15.9	–
158	032995	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
159	149719	IOCL Un Sealed	16.4	16.4	–
160	201236	IOCL Un Sealed	16.0	16.0	–
161	अपठनीय	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
162	4859	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
163	416407	IOCL Un Sealed	16.0	16.0	–
164	510034	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
165	203022	IOCL Un Sealed	16.1	16.1	–
166	006931	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
167	25774	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
168	अपठनीय	IOCL Un Sealed	15.5	15.5	–
169	400289	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
170	993393	IOCL Un Sealed	16.0	16.0	–
171	870981	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
172	483223	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
173	009406	IOCL Un Sealed	15.3	15.3	–
174	163053	IOCL Un Sealed	16.0	16.0	–
175	890848	IOCL Un Sealed	15.8	15.8	–
176	821510	IOCL Un Sealed	15.7	15.7	–
177	008182	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
178	871392	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
179	437003	IOCL Un Sealed	15.5	15.5	–
180	991837	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
181	4111	IOCL Un Sealed	15.8	15.8	–
182	658639	IOCL Un Sealed	15.2	15.2	–
183	951685	IOCL Un Sealed	15.6	15.6	–
184	922388	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
185	888349	IOCL Un Sealed	15.4	15.4	–
TOTAL					**243.2**

सिलेण्डर को भास्कर इण्डेन ग्रामीण वितरक, सराधना के प्रोपराईटर श्री दिलीप सिंह परौदा को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्ष को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी हाल जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
अजमेर

अजमेर (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी यादव कॉलोनी, दौराई, अजमेर के खुले बाड़े पर पहुंचा। मौके पर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन लाल निवासी दौराई उपस्थित मिला, जिसकी उपस्थिति में उसके बाड़े में जांच कार्य किया, उक्त बाड़े का मालिक उसने स्वयं को बताया। बाड़े के एक तरफ एक कमरा बना हुआ हैं, जिसके ऊपर लोहे के टिनशेड लगा हुआ पाया। मौके पर खुले बाड़े में व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर (19 किग्रा) तथा घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भण्डारित पाए गए। खुले बाड़े में सिलेण्डरों के पास ही चार बांसुरी, एक रिफिलिंग मशीन, (विद्युत चालित) पायी गयी तथा पास ही टिनशेड डाले हुए कमरे में घरेलू सिलेण्डर, व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर, 01 रिफिलिंग मशीन, 02 जुगाड़ पाईप (घरेलू से व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर में गैस भरने के), 01 कार्टून में सिलेण्डर सैफ्टी कैप (200) रखे हुए पाए। श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहनलाल से उक्त अवैध भण्डारित सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर बताया कि यह सभी सिलेण्डर उसके स्वयं के है और यह जगह भी स्वंय की हैं। उसने बताया कि यह सभी सिलेण्डर एक–एक या दो–दो कर होटलों, डिलेवरी बॉय आदि से खाली गैस सिलेण्डर 2000 से 2500 रूपये में तथा छोटे घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा गैस से भरा हुआ 850 से 900 रूपये में खरीदता है तथा इनको बड़े सिलेण्डरों (व्यावसायिक 19.0 किग्रा) से भरकर (जुगाड पाईप द्वारा व बांसरी द्वारा) बाजार में होटलों को 1300 से 1400 रूपये में सप्लाई करता हैं। मौके पर ही श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि उसके द्वारा रिफलिंग मशीन द्वारा गाड़ियो में भी एलपीजी गैस भरने का कार्य किया जाता हैं। गाड़ियो में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेण्डर से गैस भरने पर ग्राहकों से 1000 रूपये लेता हैं। श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि वह गैस एजेन्सीयो के कार्मिक (डिलेवरी बॉय) से इण्डेन कम्पनी, भारत कम्पनी से भी सिलेण्डर लेता हैं तथा इसके अलावा प्लान्ट से गैस सिलेण्डर भरकर निकलने वाली गाड़ियो से भी सिलेण्डर लेता हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर श्री महेन्द्र सिंह से बाड़े का बिजली बिल प्राप्त किया गया जो स्वयं महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से ही है जो फर्द संलग्न हैं। मौके पर भण्डारित सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज, बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 6 ए तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 185 सिलेण्डर (114 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा, 70 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा, 01 व्यावसायिक सिलेण्डर 05 किग्रा) मय 243.2 किग्रा एलपीजी गैस तथा 02 रिफिलिंग मशीन (विद्युत चलित), 02 जुगाड़ पाईप मय वाल्ब, 01 प्लेटफार्म कांटा, 01 कार्टून सिलेण्डर सैफ्टी कैप (200) को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकार द्वितीय अजमेर द्वारा मुझ अप्रार्थी के बाड़े में कार्यवाही कर गलत तथ्यों को प्रकट करते हुए सामान को जब्त किया गया हैं। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य तथा फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे उनके लगाये

जिला कलक्टर,
अजमेर

गये आरोप साबित होते हो। मुझ अप्रार्थी द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया जा रहा था। 114 सिलेण्डर व्यावसायिक थे। जो गलत तरीके से श्रीमान् जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर द्वारा जब्त किये गये हैं। 02 रिफिलिंग मशीन, 02 जुगाड़ पाईप मय वाल्व, 01 कार्टून सिलेण्डर सेफ्टी कैप (200) अप्रार्थी की नहीं हैं अप्रार्थी का उक्त सामान से कोई वास्ता नहीं हैं। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी का सामान बेवजह जब्त किया गया है जो सरासर गलत हैं क्योंकि जिला रसद अधिकारी महोदय, द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दस्तावेजों के माध्यम से साबित नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी नहीं थी जिस कारण उपरोक्त सिलेण्डर बाड़े में रखे गये थे। अतः कानून की जानकारी के अभाव में सिलेण्डर एकट्ठे रखे गये थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उपरोक्त प्रकरण मिथ्या तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को निरस्त फरमाते हुए अप्रार्थी को निर्दोष होने के चलते उपरोक्त 185 सिलेण्डर लौटाये जाने की कृपा करावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त पाया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी हाल जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी यादव कॉलोनी, दौराई, अजमेर के खुले बाड़े पर पहुंचा। मौके पर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन लाल निवासी दौराई उपस्थित मिला, जिसकी उपस्थिति में उसके बाड़े में जांच कार्य किया, उक्त बाड़े का मालिक उसने स्वयं को बताया। बाड़े के एक तरफ एक कमरा बना हुआ हैं, जिसके ऊपर लोहे के टिनशेड़ लगा हुआ पाया। मौके पर खुले बाड़े में व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर (19 किग्रा) तथा घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भण्डारित पाए गए। खुले बाड़े में सिलेण्डरों के पास ही चार बांसुरी, एक रिफिलिंग मशीन, (विद्युत चालित) पायी गयी तथा पास ही टिनशेड़ डाले हुए कमरे में घरेलू सिलेण्डर, व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर, 01 रिफिलिंग मशीन, 02 जुगाड़ पाईप (घरेलू से व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डर में गैस भरने के), 01 कार्टून में सिलेण्डर सैफ्टी कैप (200) रखे हुए पाए। श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सोहनलाल से उक्त अवैध भण्डारित सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर बताया कि यह सभी सिलेण्डर उसके स्वयं के है और यह जगह भी स्वंय की हैं। उसने बताया कि यह सभी सिलेण्डर एक-एक या दो-दो कर होटलों, डिलेवरी बॉय आदि से खाली गैस सिलेण्डर 2000 से 2500 रूपये में तथा छोटे घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा गैस से भरा हुआ 850 से 900 रूपये में खरीदता है तथा इनको बड़े सिलेण्डरों (व्यावसायिक 19.0 किग्रा) से भरकर (जुगाड पाईप द्वारा व बांसरी द्वारा) बाजार में होटलों को 1300 से 1400 रूपये में सप्लाई करता हैं। मौके पर ही श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि उसके द्वारा रिफलिंग मशीन द्वारा गाड़ियो में भी एलपीजी गैस भरने का कार्य किया जाता हैं। गाड़ियो में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेण्डर से गैस भरने पर ग्राहकों से 1000 रूपये लेता हैं। श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि वह गैस एजेन्सीयो के कार्मिक (डिलेवरी बॉय) से इण्डेन कम्पनी, भारत कम्पनी से भी सिलेण्डर लेता हैं तथा इसके अलावा प्लान्ट से गैस सिलेण्डर भरकर निकलने वाली गाड़ियो से भी सिलेण्डर लेता

जिला कलक्टर,
अजमेर

हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी नहीं होने के कारण उपरोक्त सिलेण्डर बाड़े में एकट्ठे रखे होना स्वीकार किया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थी निर्दोष साबित हो। जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर व अन्य सामग्री को राजहित में जब्त किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 185 सिलेण्डर (114 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा, 70 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा, 01 व्यावसायिक सिलेण्डर 05 किग्रा) मय 243.2 किग्रा एलपीजी गैस तथा 02 रिफिलिंग मशीन (विद्युत चलित), 02 जुगाड़ पाईप मय वाल्ब, 01 प्लेटफार्म कांटा, 01 कार्टून सिलेण्डर सैफ्टी कैप (200) को अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। गैस सिलेण्डर एवं शेष सामग्री का नियमानुसार जिला रसद अधिकारी, अजमेर निस्तारण करे। चूंकि उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर